कृषि विभाग राजस्थान DOA

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
दुरभाष नं. 0141–5101965 e-mail:jdagr_atc1@rediffmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः प 8(5)/एटीसी/ PKVY/दि. नि./2020–21/ 7227-7324 दिनांक 4.05.2020

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद,.....................................
2. समस्त उप निदेशक कृषि(वि0),
   जिला परिषद,.......................................

विषय :– परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अर्न्तगत आंवटित 5000 कलस्टर्स के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश बाबत।

प्रसंग :– कृषि आयुक्तालय का समसंख्यक पत्रांक 3215–3400 दिनांक 04.11.2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) वर्ष 2018–19 में 5000 कलस्टर्स 3 वर्ष (वर्ष 2018–19 से 2020–21) की अवधि के लिए स्वीकृत किये गये थे। प्रासंगिक पत्र के द्वारा इस योजना का वर्ष 2019–20 (द्वित्तीय वर्ष) में क्रियान्वयन के दिशा निर्देश निम्न संशोधन के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु यथावत प्रभावी रहेंगे :–

1. वर्ष 2019–20 के दिशा निर्देशो में किसानो को सीधे बैक खाते मे (DBT) अनुदान सहायता के बिन्दु संख्या 6, 7 एंव 9 में वर्णित वर्मीकम्पोस्ट (साईज 7'x3'x1.5') इकाई का निर्माण, परम्परागत जैविक आदान उत्पादन इकाई की स्थापना तथा वानस्पतिक काढ़ा इकाई की स्थापना पर अनुदान सहायता देय नही होगी।
2. प्रत्येक कृषक को विभिन्न गतिविधियो पर DBT से अधिकतम 9000/– रू. प्रति हैक्टर तक अनुदान सहायता देय होगी। कृषक की भूमि का जोत कम होने पर अनुदान सहायता अनुपातिक रुप से देय होगी।
3. किसानो को सीधे बैक खाते मे (DBT) देय सहायता में किसी एक मद (गतिविधियो) की बचत राशि का उपयोग दूसरे मद (गतिविधियो) में करना अनुमत नही होगा।

वर्ष 2020–21 के लिए जिलेवार कार्य योजना (भौतिक एंव वित्तिय लक्ष्य) अलग से जारी की जावेगी।

1/5/20

(डॉ0 ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः– एफ8(5)/एटीसी/पीकेवीवाई./दि0नि0/2020–21/7227–7324 दिनांकः– 4-5-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।
3. निदेशक, आई.पी.एफ.टी. (Institute of Pesticide Formulation Technology), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, गुरूग्राम (हरियाणा)।
4. वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
5. अपर निदेशक (अनुसंधान/आदान/विस्तार) कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/गुण–नियंत्रण/आदान/विस्तार/पौध संरक्षण/रसायन/ प्रबोधन एवं मूल्याकन/ज.उ.प्र./आर.के.वी.वाई/फसल बीमा), कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।
7. मुख्य साँख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, राज0, जयपुर।
9. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, चौमू हाउस, राज0, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक कृषि(वि) खण्ड समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पी.के.वी.वाई. अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों विशेष रूप से जैविक उत्पादों का बाजार हेतु प्रचार–प्रसार, ब्रॉण्ड निर्माण, जैविक मेलों का आयोजन, ट्रेड फेयर/प्रदर्शनी/जैविक मेलों/राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में जैविक समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन इत्यादि का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
11. उपनिदेशक कृषि (अभियांत्रिकी/सूचना /विस्तार), कृषि आयुक्तालय, राज0जयपुर। सूचना शाखा द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों की 800 प्रतियां क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु तैयार की जायेगी।
12. सहायक निदेशक कृषि (वि0) समस्त ..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देश की प्रति प्रत्येक कलस्टर के प्रभारी सहायक कृषि अधिकारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासनिक मद (कार्यालय व्यय) में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकता है।
13. प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर। ।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. जनसम्पर्क अधिकारी (सूचना), कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।

(आर.के. यादवेन्द्र)
संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) एटीसी